राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक कोरोना/2020/ दिनांकः

समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– माननीय न्यायालयों में कोवीड–19 बचाव व नियंत्रण कार्यवाही की सूचना बाबत्।

उपरोक्त विषय में लेख है कि कोविड–19 के बचाव व नियंत्रण के संबंध में प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां नियमित संचालित की जा रही है यथा प्रचार–प्रसार, एक्टिव व पेसिव सर्विलेन्स, कान्टेक्ट ट्रेसिंग, कन्टेनमेन्ट प्लान अन्तर्गत केन्टनमेन्ट जोन व बफर जोन निर्धारण, जांचे, मिशन लीजा अन्तर्गत अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों से हाई रिस्क ग्रुप के लोगों को चिन्हित कर प्राथमिता से उनकी जांच व उपचार कर सम्भावित मृत्युओं को रोकना, कोविड संदिग्धों को परिस्थिति अनुसार होम अथवा चिन्हित क्वारेनटाईन करना, पॉजिटिव रोगियों को परिस्थिति अनुसार होम अथवा डेडीकेटेड अस्पतालों में आईसोलेट करना इत्यादि।

उक्त क्रम में जोधपुर एवं जयपुर हाई कोर्ट एवं जिला कोर्ट में कोविड–19 के संदिग्धों की पहचान हेतु स्क्रीनिंग एवं जांच आदि कार्यवाही कराते हुए माननीय न्यायालयों में कोविड–19 के बचाव व नियंत्रण हेतु की जा रही कार्यवाही से आज ही अविलम्ब अवगत कराते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

न्यायालयों में उक्त संबंध में की जा रही कार्यवाही में विशेष रूप से स्क्रीनिंग, सैनेटाईजेशन, प्रचार–प्रसार व कान्टेक्ट ट्रेसिंग आदि के संबंध में भी अवगत कराते हुए सूचना निम्नानुसार भिजवाये।

माननीय न्यायालय का नाम व स्थान	परिषर में प्रचार–प्रसार डिस्पले है अथवा नहीं	मेडिकल टीम द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है अथवा नहीं	नगर निगम/ पालिका के माध्यम से कितनी बार सैनेटाईज किया गया।	अन्य विशेष।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक कोरोना/2020/
दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुश शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), राजस्थान।
3. अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य), मुख्यालय।
4. समस्त, जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. नोडल ऑफिसर (आईडीएसपी), मुख्यालय।
6. समस्त, संयुक्त निदेशक, जोन–राजस्थान।
7. समस्त, प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई–मेल करने व वेबसाईट पर अपलोड करने वास्ते।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।